

संख्या भा०क्ष०-२२...../सत्तर-१-२०१८



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-११०००२
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

By Speed Post

D.O. No.1-15/2015 (ARC) pt.I

26th June, 2018

Dear Sir/Madam

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, the University Grants Commission framed "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". It is once again brought to your kind notice that ragging is a criminal offence and UGC has framed regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging. These regulations are mandatory and all institutions are required to take necessary steps for its implementation in toto including the monitoring mechanism as per provisions in the above regulations and ensure its strict compliance. The Regulations are available on the UGC website i.e. www.ugc.ac.in.

As per provision in the above Regulations and for ensuring its strict compliance, UGC has designed and printed four types of posters to create awareness in the students about ill effects of ragging.

You are requested to display these posters on your office, especially in the areas where people generally assemble like canteen, reception and common places etc. In this connection, we are sending 05 packets of 04 types of posters to you.

You are also requested to fill an online compliance of the prominent display of posters on UGC Anti-Ragging website i.e. www.antiragging.in

With kind regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

Encl: as above

The Education Secretary,
Department of Higher Education
Government of Uttar Pradesh
Naveen Bhawan, UP Civil Secretariat,
Annexe Bhawan, Lucknow.

3924/vs/mj
801/न कारा
26/6

मानव
23/6
(मधु जोशी)
विशेष सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

श्री प्रजापति
06/09/18

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 20 सितम्बर, 2018

विषय:-यू0जी0सी0 द्वारा जारी किये गये पोस्टरों को एन्टी रैगिंग वेबसाइट पर अपलोड किये जाने एवं आवश्यक उपाय सुनिश्चित के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 26-6-2018 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा UGC (Curbing the menace of Ragging in Higher Education) Regulations, 2009 को लागू किया गया है। रैगिंग को रोकने के सम्बन्ध में लागू किये गये उपरोक्त रेगुलेशन के अनुपालन में यू0जी0सी0 द्वारा रैगिंग के दुष्प्रभाव को कम करने एवं जागरूकता फैलाने के सम्बन्ध में चार प्रकार के डिजायन किये गये पोस्टर जारी किये गये हैं। उक्त पोस्टरों को उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यालय, कैंटीन, कामन प्लेस एवं अतिथि कक्ष इत्यादि स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने एवं एन्टी रैगिंग वेबसाइट पर पोस्टरों का आनलाइन डिसप्ले किया जाना अपेक्षित है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26-6-2018 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या-भा0स0-22(1)/सत्तर-1-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या-D.O.No.1-15/2015(ARC)pt.I दिनांक 26-6-2018 के क्रम में।
- ✓2- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश संलग्नक सहित सभी सम्बन्धित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मधु जोशी
(मधु-जोशी)
विशेष सचिव।